

सहायक कलक्टर

अलवर

26/11/24 आज पत्रावली पेश हुई प्रार्थी का मूलवाद  
नोट प्रेस (NOT-प्रिण्ट) में खारिज किया जा चुका  
है। अब प्रार्थी का पत्र 212 RTA का कोई भी फॉर्म  
नहीं है। फॉर्म स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212  
RTA को भी नोट-प्रेस में खारिज किया  
जाता है। पत्रावली केसल शुमार हो कर नम्बर  
से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न है।

T  
AS

*[Handwritten signature]*

2  
सहायक कलक्टर  
अलवर